

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

(नजारत अनुभाग)

सूचना

जनपद न्यायालय, बलरामपुर में निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों की खुली नीलामी दिनांक 18.03.2023 को सांय 04:30 बजे जनपद न्यायालय, बलरामपुर में नीलामी समिति के समक्ष सभागार में की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना आवेदन दिनांक 17.03.2023 तक सांय 04 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में खुली नीलामी हेतु बायलॉज संलग्न कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या—256/78-2-2018-42आई0टी0/2017टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल 2018 के अन्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग—1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या ए—1—864/दस—08—15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करने की निविदाओं के लिये सीमा बढ़ाकर 10,00,000/- रूपये कर दिया गया। निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उपस्करों आदि के लिए बुक मूल्य 10,00,000/- रूपये से कम है।

अतः ई—टेण्डरिंग पोर्टल खुली नीलामी नोटिस डाले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस <http://www.allahabadhighcourt.in/> तथा <https://districts.ecourts.gov.in/balrampur> पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

जनसाधारण की सूचना हेतु संलग्नक नोटिस दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेषित कर दिये जायेंगे।

आदेश की प्रतिलिपि निम्न सूचना पटों पर चर्चा कराया जाए :-

1. जनपद न्यायालय, बलरामपुर,
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर, तहसील, बलरामपुर,
3. लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड), बलरामपुर,
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर,
5. रेलवे स्टेशन (झारखण्डी), बलरामपुर,
6. विकास भवन, बलरामपुर के सूचना पटों पर चर्चा किया जाए।
7. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफीसर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

दिनांक—23.02.2023

Preetimala Chaturvedi
सदस्य, 23/2/23
नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड), अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
बलरामपुर

सदस्य, 23/2/2023
नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी. / एस.टी. एक्ट)
बलरामपुर।

Mohit Kumar Upadhyay
अध्यक्ष 23/2/2023
नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश—प्रथम बलरामपुर।

*Chaturvedi
Hansraj
23/2/23*

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

जनपद न्यायालय, बलरामपुर में निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं
उपस्करों/वस्तुओं की नीलामी के लिए नियम व शर्तेः—

- 1— निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों के नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक 17.03.2023 तक सायं 04 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।
- 2— निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 18.03.2023 को सायं 04:30 बजे जनपद न्यायालय, बलरामपुर में नीलामी समिति के समक्ष सभागार में सम्पादित होगी।
- 3— निष्प्रयोज्य उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों की नीलामी हेतु चूनतम धनराशि प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर से प्राप्त मूल्यांकन आख्या के आधार पर होगी।
- 4— निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की नीलामी हेतु चूनतम धनराशि प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर से प्राप्त मूल्यांकन आख्या एवं नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन०आई०सी० बलरामपुर से प्राप्त मूल्यांकन आख्या के आधार पर होगी।
- 5— नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6— प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी गयी बोली के धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 7— बोली समस्त निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करों एवं अन्य सामग्रियों के लिए बोली जायेगी। कोई भी गारन्टी या वारन्टी नहीं होगी तथा कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी। बोली हेतु इच्छुक व्यक्ति केन्द्रीय नाजिर को सूचित करके नीलामी के सामानों का निरीक्षण दिनांक 01.03.2023 से 16.03.2023 तक किसी कार्य दिवस में अपराह्न 03 बजे से 05 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, नवीन न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, बलरामपुर में कर सकते हैं।
- 8— प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व बतौर जमानत रुपये 5000/- (पाँच हजार) की धनराशि जमा करनी होगी।
- 9— जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि को बोली धनराशि में समयोजित कर लिया जायेगा शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हें उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
- 10— नीलामी स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को होगा।

Kreeti malika
Chaturvedi - २३/२/२३

23-02-2023

Abhim 'bhu upadhyay
23/02/2023

11— माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा बिना कारण बताये उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

12— जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।

13— बोली के अन्तिम होते ही बोली की धनराशि तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट या हुन्डी स्वीकार नहीं होगी।

14— नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि को न जमा करने पर नीलामी अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रतिभागी की जमा जमानत धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल माना जाएगा या पुनः नीलामी की जाएगी।

15— पूर्ण भुगतान के बाद नीलाम किये गये निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करणों एवं अन्य सामग्रियों को उच्चतम बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उच्चतम बोली लगाने वाला केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपस्करणों एवं अन्य सामग्रियों को परिसर से अपने स्वंय के खर्चे पर निर्धारित स्थान से ले जा सकता है।

16— यदि नीलामी का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो उच्चतम बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि लौटा दी जायेगी।

17— विधि के अधीन किसी कर की जो देयता होगी वह केता/नीलामी प्राप्तकर्ता की होगी।

18— बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली लगाने वालों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे इन नियमों में निर्धारित एवं निबन्धनों को यथावत स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त नियम व शर्त माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

दिनांक: 23.02.2023

Preetimala Chaturvedi
(प्रीतिमाला चतुर्वेदी)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड),
बलरामपुर

Vinod Kumar-V
(विनोद कुमार-V)
सदस्य, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एकट)
बलरामपुर

Abhimintam Upadhyay
(अभिनितम उपाध्याय)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश-प्रथम, बलरामपुर

Brijendra Naik
23/02/23